सत्र प्रकरण का निर्णय का शीर्षक

प्रपत्र–क

न्यायालयः– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया **व्यवहार न्यायालय, गया**	
उपस्थित	**शशि कांत ओझा** **अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, गया ।**
निर्णय की तिथि	**21.04.2026**
सत्र प्रकरण सं0	**371 / 2025**
जी0 आर0 नम्बर	5242 / 2021
विष्णुपद थाना कांड सं0	189 / 2021
सूचक	राज्य सरकार द्वारा सूचक रामजी ठाकुर
अभियोजन की तरफ से	श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता
अभियुक्त गण का नाम	1.रोहित सिंह उर्फ बुट्टा, पिता– रंजीत सिंह उर्फ नाटो, मो0– शमशान घाट, थाना– विष्णुपद, जिला–गया।
सभी अभियुक्तगण की तरफ से	1. श्री कमलेश कुमार, अधिवक्ता

प्रपत्र–ख

घटना की तिथि	15.10.2021
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	18.10.2021, धारा– 341, 323, 307, 379, 504, 506 / 34 भा0 द0 वि0।
आरोप–पत्र समर्पित करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	04.02.2025, धारा– 341, 323, 307, 504, 506 / 34 भा0 द0 वि0।
संज्ञान लेने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	04.02.2025, धारा– 341, 323, 307, 504, 506 / 34 भा0 द0 वि0।
आरोप गठण करने की तिथि एवं अंर्तगत धारा	21.08.2025, धारा– 341 / 34, 323 / 34, 307 / 34, 504 / 34, 506 / 34 भा0 द0 वि0।
प्रथम गवाह प्रस्तुत करने की तिथि	18.12.2025
बयान दर्ज करने की तिथि	09.04.2026
निर्णय हेतु रखने की तिथि	21.04.2026
निर्णय की तिथि	**21.04.2026**
सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि	N.A.

अभियुक्त का विवरण

क्र0 सं0	**अभियुक्त का नाम**	**गिरफतारी एवं आत्मसमर्पण की तिथि**	**जमानत पर मुक्ति की तिथि**	**जिन अपराधों का आरोप बनाया गया**	**चाहे दोषमुक्त हो या दोषी**	**सजा सुनाई गई**	**धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौराण निर्धारण की अवधि**
01.	**रोहित सिंह उर्फ बुट्टा**	**08.12.2022**	**08.12.2022**	**धारा–341 / 34, 323 / 34, 307 / 34, 504 / 34, 506 / 34 भा0 द0 वि0।**	**दोषमुक्त**	**N.A.**	**N.A.**

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ भुट्टा, प्रस्तुत प्रकरण में धारा– 341, 323, 307, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत विचारण का सामना कर रहे हैं।

2. प्रस्तुत प्रकरण के सूचक, रामजी ठाकुर के फर्दबयान के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि ''सूचक रामजी ठाकुर, पिता– स्व0 बैकुन्ठ ठाकुर, ग्राम– दक्षिण दरवाजा, थाना– विष्णुपद जिला– गया जी का रहने वाला है। दिनांक– 15.10.2021 को करीब सुबह 07:00 बजे सूचक अपने घर से सामान खरीदने के लिए निकले थे। जैसे ही विष्णुपद में पिरवेची के पास पहूंचे तो वहां पर बाबू रजक, पिता– विश्वनाथ रजक मो0– पिरवेची थाना– विष्णुपद, 2. राहित सिंह उर्फ बुट्टा, पिता– रंजीत सिंह उर्फ नाटु, मो0– शमशान घाट, थाना– विष्णुपद, 3. नवीन रजक उर्फ रिषु, मो0– पांच महला कृष्णा द्वारिका, थाना– विष्णुपद ये सभी घेरकर लाठी, डंडा एवं रड से मारने लगा जिससे सूचक का दांत पूर तरह हिले लगा और खुन बहने लगा, नाक से खुन बहने लगा, बांया कान के पास छिला गया, दाहिना हथेली कट गया जिससे काफी खून बहने लगा। सभी अभियुक्तगण जान मारने की नियत से प्रहार किया था। बाबू रजक पर पहले से भी दो–तीन केस थाना में दर्ज है। सभी उपराध प्रवृति के लोग है। सभी अभियुक्तगण धमकी दिया की केस करोगे तो जान से मार देंगें। हलला होने पर आदमी जुटने लगा तो ये लोग सोने का चैन एवं बजरंगबली को लॉकेट, मोटरसाईकिल स्पैलंडर, मोबाईल छीनकर भाग गया। उसके बाद सूचक को जख्मी हालत में स्थानीय एवं परिवार के लोग दिनांक– 15.10.2021 को सुबह 11:00 बजे अनु0 ना0 म0 मे0 कॉ0 गया जी में ईलाज हेतु भर्ती कराया गया जहां सूचक का ईलाज हुआ।''

3. सूचक के फर्दबयान के आधार पर गया विष्णुपद थाना कांड संख्या–189/2021, दिनांक 18.10.2021 अन्तर्गत धारा– 341, 323, 307, 379, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. प्रस्तुत प्रकरण के अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत इस प्रकरण के अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा के विरूद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोप–पत्र संख्या – 180/2023, दिनांक 30.06.2023, अन्तर्गत धारा– 341, 323, 307, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 में समर्पित किया गया। तत्पश्चात् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया जी द्वारा दिनांक 04.02.2025 को उपरोक्त आरोप–पत्रित अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया तथा तत्पश्चात् दिनांक–03.04.2025 को मामले को अभियुक्त के विरूद्ध विचारण हेतु श्रीमान् सत्र न्यायाधीश, गया के न्यायालय में दौरा–सुपुर्द किया गया।

5. दिनांक 21.08.2025 को अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा के विरूद्ध धारा– 341/34, 323/34, 307/34, 504/34, 506/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया एवं आरोप की विशिष्टियों को अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसपर अभियुक्त ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं वाद विचारण का दावा किया।

6. विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रकरण का अभिलेख दिनांक–28.04.2025 को इस न्यायालय में विचारण एवं निष्पादन हेतु प्राप्त हुआ।

7. दिनांक 09.04.2026 को अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा का धारा – 313 द0 प्र0 स0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने–आप को निर्दोष बताया एवं कथन किया कि उन्हें इस मामले में झूठा फॅसाया गया है।

8. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरूद्ध गठित आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही?

मन्तव्य

9. अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में कुल 06 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध कराया गया है जो कि निम्नांकित हैं : –

अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– मुकेश लाल झांगर

अभियोजन साक्षी संख्या – 2 :– बबलू गराई

अभियोजन साक्षी संख्या – 3 :– मुन्ना साव

अभियोजन साक्षी संख्या – 4 :– मनोज वर्णवाल उर्फ मनोज कुमार

अभियोजन साक्षी संख्या – 5 :– रामजी ठाकुर (सूचक)

अभियोजन साक्षी संख्या – 6 :– विनय कुमार चौरसिया, अनुसंधानकर्ता

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गये दस्तावेजी साक्ष्य इस प्रकार हैंः–

प्रदर्श–1– फर्दबयान पर साक्षी का हस्ताक्षर

प्रदर्श–2– आरोप पत्र

10. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव के समर्थन में मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लिपिबद्ध नहीं कराया गया है।

11. **अभियोजन साक्षी संख्या – 1 :– मुकेश लाल झांगर**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि यह घटना कब की है इन्हे मालूम नहीं है। पुलिस इनसे पुछताछ नहीं की थी।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को स्वीकार नहीं किया एवं साक्षी अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा को नहीं पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि वह चार भाई है।

12. **अभियोजन साक्षी संख्या – 2 :– बबलू गराई,** ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि यह घटना कब की है मुझे मालूम नहीं है। पुलिस मुझसे पुछताछ नहीं की थी।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को स्वीकार नहीं किया एवं साक्षी अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा को नहीं पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि उनके घर के उत्तर में पिंटुलाल गराई का घर, दक्षिण में गली, पूर्व में विनेश प्रसाद का घ ार एवं पश्चिम में नवरत्न शर्मा का मकान है।

13. **अभियोजन साक्षी संख्या – 3 :– मुन्ना साव**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि घटना कब की है इन्हें याद नहीं है और घटना के बारे में इन्हें कुछ पता नहीं है और न इन्होनें कुछ सुना है। पुलिस ने इनसे पुछताछ नहीं किया था।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को स्वीकार नहीं किया एवं साक्षी अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा को नहीं पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि सुबह 08 बजे उनका लड़का दुकान खोलता है एवं वह 09–10 के बीच में दुकान पर जाते है।

14. **अभियोजन साक्षी संख्या – 4 :– मनोज वर्णवाल उर्फ मनोज कुमार**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि घटना कब की है इन्हें याद नहीं है और घटना के बारे में इन्हें कुछ पता नहीं है और न इन्होनें कुछ सुना है। पुलिस ने उनसे पुछताछ नहीं किया था।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को स्वीकार नहीं किया एवं साक्षी अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा को नहीं पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि वह किराना दुकान चलाते है।

15. **अभियोजन साक्षी संख्या – 5 :– रामजी ठाकुर (सूचक)**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि यह घटना करीब चार पांच साल पहले सुबह की है। वह पिंडवेची के रास्ते से जा रहा था तो बुट्टा सिंह एवं अन्य तीन–चार आदमियों से उसका बकझक होने लगा तो उनका ब्लड –प्रेशर हाई होने के कारण वह गिर गये जिससे उनका जबड़ा में चोट लग गया था। उसके बाद वह मगध मेडिकल अस्पताल में ईलाज के लिए गया था जहां दो दिन तक भर्ती रहा था। अस्पताल में पुलिस उनसे सादे कागज पर हस्ताक्षर ली थी परंतु बयान दिया था या नहीं याद नहीं है। साक्षी को फर्दबयान दिखाने पर साक्षी उसपर अपने हस्ताक्षर का पहचान किया एवं उसके पहचान पर फर्दबयान पर उसके हस्ताक्षर को **प्रदर्श–1** अंकित किया। उसे सिर्फ जबड़े में चोट लगा था और कहीं नहीं। पुलिस उनसे उसके बाद कभी पुछताछ नहीं की है।

अभियोजन के प्रार्थना पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अभियोजन के कथन को स्वीकार नहीं किया परंतु अभियुक्त को पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि अभियुक्त उनके मोहल्ले के निवासी है इसलिए पहचानते है एवं अभियुक्त के साथ उनका मारपीट नहीं हुआ था। ब्लड प्रेशर हाई होने के गिरने से उन्हें चोट लगी थी।

16. **अभियोजन साक्षी संख्या – 6 :– विनय कुमार चौरसिया, अनुसंधानकर्ता**, ने अपने मुख्य परीक्षण के क्रम में कथन किया है कि वह दिनांक– 10.12.2022 को वह विष्णुपद थाना, गया जी में पदस्थापित थे। इस कांड के अनुसंधान का भार दिनांक– 03.03.2023 को उन्होनें थानाध्यक्ष से ग्रहण किया था। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के बाद कांड दैनिकी का अवलोकन किया और अनुसंधान के दौरान अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा के विरूद्ध आरोप सत्य पाते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार आरोप पत्र सं0– 180/2023 दिनांक– 30.06.2023 अंतर्गत धारा– 341, 323, 307, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 में समर्पित किया एवं साक्षी के पहचान पर आरोप–पत्र को प्रदर्श–2 अंकित किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से किये गए प्रति–परीक्षण के क्रम में इस साक्षी ने कथन किया है कि उन्होनें अनुसंधान का भार दिनांक– 03.03.2023 को ग्रहण किया था। इस केस के पूर्व के अनुसंधानकर्ता के द्वारा अनुसंधान किया गया था। उन्होनें वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार सिर्फ आरोप पत्र समर्पित किया था।

17. उभयपक्षों द्वारा अपने पक्ष में दिये गये साक्ष्यों का सम्पूर्ण एवं सारगर्भित अवलोकन करने के पश्चात् उभयपक्ष द्वारा अपने–अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये तर्कों का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण न्यायिक रूप से अपेक्षित है। अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री नरेन्द्र प्रसाद गुप्ता अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हुये कथन करते है कि अभियोजन द्वारा अपने मामले को स्थापित करने हेतु कुल 6 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। जिसमें अभियोजन साक्षी सं0– 5 सह सूचक ने अपने साक्ष्य में घटना का पूर्ण समर्थन किया है और कहा है कि घटना करीब 04–05 साल पहले की है और रास्ते मे जाते हुए अभियुक्त से बकझक हुआ था एवं गिर जाने पर सूचक को जबड़े में चोट आयी थी। सूचक के पहचान पर फर्दबयान पर साक्षी सं0–5 सह सूचक के हस्ताक्षर को प्रदर्शः–1 अंकित किया जाता है एवं अन्य साक्षियों ने भी घटना का समर्थन किया है। अभियोजन साक्षी सं0– 6 सह अनुसंधानकर्ता है और

अनुसंधानोपरांत इन्होंने अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया एवं इनके पहचान पर आरोप पत्र को प्रदर्श– 2 अंकित किया गया। इन्हीं सभी तर्कों के आधार पर अभियोजन द्वारा अभियुक्त को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्धि करने का निवेदन किया गया।

18. वही दूसरी ओर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन के प्रस्तुत सभी साक्षियों में साक्षी सं0– 1, 2, 3, 4 एवं 5 सूचक साक्षी को अभियोजन के प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। सूचक साक्षी सं0 5 ने अपने साक्ष्य के दौरान कहा है कि पिंडवेची के पास तीन चवार आदमियों से बकझक हुआ था लेकिन इनका बल्ड प्रेसर बढ़ जाने के कारन ये गिर गये और जबड़ा में चोट लग गया और इनका ईलाज मगध मेडिकल में हुआ। पुलिस इनसे सादे कागज पर हस्ताक्षर करायी थी। प्रति परीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त इनके मोहल्ले का हैं इसलिए पहचानते हैं। किसी अभियुक्तों ने इनके साथ मारपीट नहीं किया था, ब्लड प्रेसर हाई होने के कारन इन्हे चोट लगी थी। साक्षी सं0 1, 2, 3 एवं 4 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इन लोगों को घटना के बारे में कुछ नहीं पता है। इनसे अभियोजन ने भी किसी प्रकार का कोई भी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लाने में असफल रहे। साक्षी सं0 6 जो कि अनुसंधानकर्ता हैं, इन्होने ने केवल अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया है। इन्हीं सभी तथ्यों के आधार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते है कि अभियोजन अभियुक्तगण के संबंध में मामले युक्ति–युक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

19. उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया, अवलोकनोपरांत न्यायालय यह पाती है की अभियोजन की ओर से छः साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी सं0 5 सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण के दौराण प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखित आवेदन पर अपने हस्ताक्षर के पहचान पर प्रदर्शः–1 अंकित कराया है और आगे कहा है कि घटना के दिन यह साक्षी पिंडवेची के रास्ते से जा रहा था तो बुट्टा सिंह एवं अन्य तीन चार आदमी से इसका बकझक होने लगा जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारन यह साक्षी गिर गया जिससे इसके जबड़े में चोट लग गया था। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में हीं आगे यह कहा है कि अस्पताल में पुलिस इस साक्षी से सादे कागज पर हस्ताक्षर ली थी, उसमें क्या बयान दिया था, इस साक्षी को याद नहीं है। अभियोजन के निवेदन पर इस साक्षी को पक्षद्रोहि घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पुछे जाने पर भी यह साक्षी अभियोजन द्वारा सुझाये गये प्रश्नों का नकारात्कम जबाब दिया है और अपने प्रति परीक्षण की कंडिका 7 एवं 8 में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियुक्त बुट्टा सिंह या अन्य अभियुक्तों में से किसी ने भी इसके साथ मारपीट नहीं किया था बल्कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारन गिर जाने से इसे चोट आयी थी। अभियोजन साक्षी सं0 1 मुकेश लाल झंगर, साक्षी सं0 2 बबलु गराई, साक्षी सं0 3 मुन्ना साव, साक्षी सं0 4 मनोज वर्णवाल ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में समान्य रूप से कथन किया है कि घटना के बारे में इन साक्षीयों को कुछ भी पता नहीं है तथा पुलिस ने इन साक्षीयों से पुछताछ नहीं किया था। अभियोजन के निवेदन पर इन साक्षीयों को पक्षद्रोहि घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा इन साक्षीयों से सूचक प्रश्न पुछा गया है परन्तु कोई भी साक्ष्य अभियोजन अपने पक्ष में लाने में असफल रहा है। अभियोजन साक्षी सं0 6 इस कांड के अनुसंधानकर्ता है, उन्होने इस वाद में केवल आरोप पत्र समर्पित किया है तथा इनके पहचान पर आरोप पत्र को प्रदर्शः–2 अंकित किया गया।

अतः इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा– 341/34, 323/34, 307/34, 504/34, 506/34 भा0 द0 वि0 को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में पुरी तरह से असफल रहा है।

आदेश

20. चूंकि अभियोजन अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा के विरूद्ध आरोपित आरोप को युक्ति–युक्त संदेहों के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा को धारा– 341/34, 323/34, 307/34, 504/34, 506/34 भा0 द0 वि0 के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त रोहित सिंह उर्फ बुट्टा पूर्व से जमानत पर हैं, अतः उनके जमानतदारों को बन्ध पत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

कार्यालय इस निर्णय की एक प्रति अपर लोक अभियोजक के माध्यम से जिलाधिकारी, गया को भेजें एवं नियामानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में निक्षेपित करें।

लेखापित एवं शुद्धीकृत

(निर्णय खूले न्यायालय में सुनाया गया)

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश –I

गया जी।

दिनांक :–21.04.2026

लेखापित

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश –I

गया जी।

दिनांक :–21.04.2026